भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3832**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता

3832. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रारूप समझौते पर कब तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है;

(ख) क्या सरकार ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 26% बेसलाइन टैरिफ के, भारतीय निर्यातकों, विशेषकर वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी टैरिफ नीतियों के लागू होने की स्थिति में भारतीय वस्तुओं के लिए अनुकूल शर्तें या छूट सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या भारत ने चल रही वार्ता के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ टैरिफ की अनिश्चितता या व्यापार बाधाओं पर चिंता व्यक्त की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता मार्च 2025 में शुरू की गई थी। वार्ता के पांच दौर आयोजित किए जा चुके हैं, अंतिम वार्ता दिनांक 14-18 जुलाई, 2025 को वाशिंगटन, अमेरिका में हुई थी।

(ख) से (घ) भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर दिनांक 7 अगस्त, 2025 से 25% की दर से पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है।

(स्रोत:https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/further-modifying-the-reciprocal-tariff-rates/)। ऐसा आकलन है कि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कुल पण्यवस्तु निर्यात का लगभग 55% इस पारस्परिक टैरिफ के अध्यधीन है। इसके अलावा, भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 27 अगस्त, 2025 से 25% की अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क दर लागू की गई है।

(स्रोत: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation/)। फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को भारतीय निर्यात पर अभी तक कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया गया है।

उत्पाद विभेदीकरण, मांग, गुणवत्ता, संविदात्मक व्यवस्था जैसे विभिन्न कारकों का संयोजन, वस्त्र क्षेत्र सहित भारत के निर्यात पर पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव को निर्धारित करेगा। सरकार, अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव के आकलन हेतु निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से फीडबैक लेने के लिए कार्यरत है। सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उद्योग के सभी वर्गों के संरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।

भारत सरकार अमेरिका के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा में नियोजित है, जिसका उद्देश्य टैरिफ स्थिरता और दीर्घकालिक व्यापार पूर्वानुमान के माध्यम से व्यापार और निवेश का विस्तार करना है।

*****